राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख) विभाग

क्रमांक : प. 8(5)कार्मिक/ख–1/2020 जयपुर, दिनांक : 04-05-2020

आज्ञा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष, 2018 में आयोजित लिपिक ग्रेड–II, संयुक्त परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970 के नियम 23 के अन्तर्गत शासन सचिवालय में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर लिपिक ग्रेड–II के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 20.03.2020 द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की निरन्तरता में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

Sr.No.	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	CAT	H_CAT
1.	1779472	MUKESH KUMAR SAHARAN	RAN SINGH SAHARAN	11-Sep-93	OBC	
2.	1932830	NARENDRA KUMAR	RAMAWTAR	10-Aug-93	OBC	
3.	1896216	RAMNIWAS GODARA	SATYA NARAYAN GODARA	17-Jun-95	OBC	
4.	2222350	VIRENDRA KUMAR YADAV	DAYARAM YADAV	07-Jul-93	OBC	
5.	2000605	RAJESH KUMAR	LILU RAM	09-Dec-96	OBC	
6.	1701698	MANISHA SHARMA	MOHAN LAL SHARMA	03-Jul-90	GEN	
7.	1762080	JITENDRA KUMAR JANGID	GAJANAND JANGID	09-Feb-94	OBC	
8.	2365824	VICKY KULDEEP	BHAGWAN SHAYA	06-Aug-95	SC	
9.	1866267	PRAKASH KUMAR MEENA	DOONGRASI LAL MEENA	03-Jun-94	ST	
10.	2063732	PAVAN KUMAR ATAL	KALU RAM	01-Jan-94	SC	
11.	1589131	MAMTA KUMAWAT	BIJA RAM	05-Sep-94	OBC	DIV
12.	2429301	SURESH CHAND SHARMA	CHOTU LAL SHARMA	10-Jul-83	GEN	EX
13.	2111482	RAVI KUMAR SHARMA	DEVKI NANDAN SHARMA	10-May-93	GEN	BLV
14.	2051413	RUPENDRA SINGH NATHAWAT	MAL SINGH NATHAWAT	01-Jan-78	GEN	EX
15.	1225059	BHARAT SINGH	ATTAR SINGH	05-Dec-83	OBC	EX
16.	1478617	HARLAL SINGH DUDWAL	RICHHAPAL SINGH	15-Oct-78	OBC	EX

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/ 68999 – 69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगीं।
4. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–II के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होगें।

7. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड–II प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में शासन सचिवालय हेतु योग्यता सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता क्रम में ही रहेगी।

8. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

12. संबंधित अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन रिरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13–03–2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/ 2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/ रूल्स/ 2003 दिनांक 13.03.06 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशेधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (**Fixed Remuneration**) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड–II के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ0 14(44)RSMSSB/अर्थना/लिपिक ग्रेड–II/2016/2031 दिनांक 14.02.2020 एवं 03.03.2020 के संदर्भ में
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु0 3) विभाग
6. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग को मय अतिरिक्त प्रति।
7. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख) विभाग।
8. कार्मिक (ख–3)/स्वागत कक्ष) विभाग।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. संबंधित अभ्यर्थी।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

(संतोष घोडेला)
सहायक शासन सचिव